राजस्थान सरकार

।। कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 04/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
[illegible] पुत्र श्री लख सिंह निवासी [illegible] पोस्ट रूपसी जिला [illegible]		अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक : 31 जनवरी, 2017

:: निर्णय ::

[illegible] ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 के द्वारा [illegible] गई सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

[illegible] की अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा अपीलार्थी को [illegible] अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में किन कारण से उसके द्वारा वांछित सूचनाएं [illegible] नहीं करवाई गई है इसका कारण स्पष्ट करें एवं क्यों न इस अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार [illegible] 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस अपील का निस्तारण किया जावें। अपीलार्थी को भी सूचित किया [illegible] प्रत्यर्थी द्वारा आपको वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में आप यदि कोई तथ्य प्रस्तुत करना [illegible] करें।

[illegible] अनुपस्थित। प्रत्यर्थी ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा [illegible] 26 अक्टूबर, 2016 को प्रस्तुत आवेदन पत्र (कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर में प्राप्त दिनांक 27 अक्टूबर, 2016) से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर से संबंधित होने से संबंधित लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर) को 2 नवम्बर, 2016 को अंतरित किया गया तथा अन्तरण की सूचना अपीलार्थी को दी गई।

04. मैनें पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को 2 नवम्बर, 2016 को आवेदन पत्र अन्तरित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 30 जनवरी, 2017 से अपीलार्थी को सूचित किया है कि सूचना परपक्षीय होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की विवेचनानुसार अदेय है।

05. अतः वांछित सूचना उक्त बिंदु संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार अदेयता की श्रेणी में आने के कारण प्राप्त अपील पत्रावलित किया जाना समीचीन है।

06. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अस्वीकार की जाती है।

07. मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को निर्णय किया गया।

08. निर्णय की प्रतियाँ उभय पक्ष के साथ-साथ उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर